न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./6267/2005/बीकानेर

1.मंगलाराम फौत जरिये कायम मुकाम–

1/1. खीया राम 1/2.अर्जुनराम 1/3.बृज लाल

1/4. रामस्वरूप पुत्रगण स्व. मंगलाराम

1/5. मनोहरी 1/6. रामप्यारी 1/7. परमा पुत्रियां

स्व. मंगला राम जाति जाट निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर

2. शिवलाल पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई निवासी गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य

रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मोडू दान देथा सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित

श्री मनीश पण्डया अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राज. अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 9.10.19

1. यह अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त कोलायत के समक्ष अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88,89 एवं 125,136 भू राजस्व अधिनियम के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। उक्त वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 31–5–94 से रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर सहायक उपनिवेशन आयुक्त कोलायत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण दुबारा सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 7–3–2003 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया और वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन अंगोर दर्ज करने के आदेश दिये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–'11–05 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मण्डल के निर्देशों की पालना नहीं करतें हुये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मान लिया गया कि यह भूमि पैरोकार सरकार के जबाब के अनुसार गैर मुमकिन

आगोर है जबकि वास्तविकता यह है कि इस आशय का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ था जो कि राज्य पक्ष का दायित्व था कि वह अधिकार अभिलेख प्रस्तुत करता। यदि समस्त तर्को को दृष्टिगत नहीं भी रखा जावे तो अधिनियम 1955 की धारा 19(1) ए ए जो संशोधित अधिनियम 1979 के द्वारा दिनांक 27–12–79 को जोडी गई है उसके अनुसार कोई व्यक्ति जो दिनांक 31–12–69 को वार्षिक रजिस्टर में अंकित नहीं था को भी खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण स्वतः ही उक्त भूमि के भौतिक धारण में होने से भूमि के खातेदार हो जाते हैं किन्तु इस बाबत दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि सम्बत 2012 में मंगलाराम के नाम से 189बीघा 15विस्वा भूमि होना दर्ज करवाई गई थी जो पुख्ता सेटिलमेन्ट में मंगलाराम के नाम से सम्बत 2024 में 98बीघा 14विस्वा दर्ज है। समरी में दर्ज रकबा कच्चे पक्के बीघों में है जबकि पुख्ता सेटिलमेन्ट में दर्ज रकबा पक्के बीघों में है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष इस प्रकरण में मुख्य रूप से निर्णायक बिन्दु यह था कि क्या वादीगण वादीगण वादग्रस्त आराजी के धारा 15एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं? और क्या

वादग्रस्त आराजी पैतृक होने के कारण वादीगण रेकार्ड में अपने नाम अंकन कराने के अधिकारी हैं ?हालाकि विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित कुल आठ तनकीयात कायम की हैं। विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी बाबत विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार संशोधित वाद पत्र अन्तर्गत धारा 15एएए एवं अतिरिक्त कथन का प्रार्थनापत्र वादीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुये यह निष्कर्ष निकाला है कि वादीगण धारा 15एएए की प्रावधानों की प्रतिपूर्ति नहीं करते हैं। वादी मंगलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सेटिलमेन्ट में दिनांक 23–9–68 को खारिज हुआ जिसकी कोई अपील होना भी प्रकट नहीं होता है। साथ ही विचारण न्यायालय के निर्णय अनुसार आराजी की किस्म गैर मुमकिन अंगोर है। इसलिये विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक रूप से पुष्टि की है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य